प्रेसविज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो

अहमदाबाद शाखा कार्यालय

हमारा सन्दर्भ : अह.शा.का./प्रेस नोट/2017/2

दिनांक: 06 .04. 2017

ऑटोमोटिववाहनोंकेवायवीयटायर्सकेलिएट्यूबके निर्माता इकाईमें भारतीय मानक ब्यूरो का छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारीयों के एक दल ने ब्यूरो से बिना वैध लाइसेंस लिए कंपनी के वायवीयटायर्सकेलिएट्यूबके उत्पादन , पैकिंगऔर ISI चिन्हांकन में लिप्त होने की एकत्रित आसूचना के आधार पर दिनांक 4.04.2017 कोमैसर्स अहमदाबाद रबर इंडस्ट्रीज, प्लाट नंबर 2209, फेस-2, जी आई डी सी, छतराल, ता कलोल, जिल्ला गांधीनगर (गुजरात),के परिसर में प्रवर्तन छापा मारा। छापे के दौरान बड़ी मात्रामें भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह (ISI)का दुरूपयोग पाया गया। साक्ष के रूप में ISI चिन्ह वाले करीब 3000 से ज्यादा टयूब एवं पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई।

यहउत्पाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आता है, जिसमें यह समाविष्ट है की कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो से मानक चिन्ह के लिए (ISI)लाइसेंस लिए बिना उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा | भारतीय मानक ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना मानक चिन्ह का प्रयोग करने वाले के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम,1986 के अनुच्छेद 11(1), 12(ख) केउल्लंघन की करवाई की जाएगी | यह अपराध दंडनीय है जिसके अंतर्गत एक वर्ष तककाकारावास, अथवारु. 50,000/- का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है |

बेईमाननिर्माता आम तौर पर जनता को धोखा देने के लिए बिना वैध लाइसेंस के भारतीयमानक ब्यूरो के मानक चिन्ह (ISI) का प्रयोग करते हैं | भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर इस प्रकार की सामग्री के उपयोग से धोका और संभावित सुरक्षा खतरों से आम जनता को बचाने के लिए शृंखलाबद्ध रूप से दुरूपयोग की प्राप्ति / एकत्रित सूचना के अनुसार छापा मारती है | कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणचिन्ह के दुरूपयोग की जानकारी हो तो वे उसके बारे में प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, तीसरातल, नवजीवन अमृत जयंती भवन, गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ओफ़ आश्रम रोड, अहमदाबाद-380014 (दूरभाष – 079-27540317) को लिख सकते हैं | शिकायत को ahbo@bis.gov.inअथवाenf@bis.gov.inपर ईमेल द्वारा की जा सकती है | इस प्रकार की सूचना देने वाले की पहचान को अतिगोपनीय रखा जायेगा |

अ. लाल

(अजय कुमार लाल)

वैज्ञानिक-ई

(अहमदाबादशाखाकार्यालय)

Press Release

Bureau of Indian Standards

Ahmedabad Branch office

Our Ref: AHBO/Press Note/2017/2 Date: 06April, 2017

BIS Raid on manufacturing Unit of AUTOMOTIVE VEHICLES — TUBES FOR PNEUMATIC TYRES

An enforcement raid was carried out by team of officers of Bureau of Indian Standards, at the premises of "M/s Ahmadabad Rubber Industries, Plot no. 2209, Phase-2, GIDC, Chhatral, Ta-Kalol, Dist-Gandhinagar(Gujrat)", a manufacturer Tubes for pneumatic tyres on 04 April, 2017 based on input that the unit indulged in manufacturing, marking, packing of Tubes with ISI mark without having valid license from BIS. During the operation large scale misuse of BIS Standard mark (ISI) was found. More than 3000 tubes (approx.) of Two wheelers, four wheelers, packing material with fake BIS mark were seized as evidence.

The said product is under mandatory certification notified by Government of India which implies that no person shall manufacture the product without having license from BIS to use the BIS standard mark (ISI).Action is being initiated against the offender for using BIS standard mark without prior permission of BIS, under violation of section 11 (1) and 12 (b) of BIS act 1986. The offence is punishable by imprisonment up to 1 year or a fine of ₹. 50,000/- or both.

Unscrupulous manufacturers use BIS standard mark (ISI mark) without valid license to deceive the public in general. BIS, Ahmedabad has been carrying out series of raids (search and seizure operations), as and when information about misuse ofStandard Mark is received/collected, to protect the consumer from such deception and possible safety hazards which emanate from usage of such substandard material.Anybody who has information about the misuse of Standard Mark may write to the Head, Bureau of Indian Standards, Ahmedabad Branch office, 3rdFloor, Navajivan Amrut Jayanti Bhavan, Behind Gujarat Vidyapith, Off. Ashram Road, Ahmedabad- 380014 (Phone No. 079-27540317). A complain can also be made by email at ahbo@bis.gov.in, or enf@bis.gov.in. **The identity of the informant would be kept strictly confidential.**

Ajay Kumar Lal
Scientist-E
(Ahmedabad Branch Office)